

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 100033 / 2016 वैवाहिक

नरेश नामदेव पुत्र श्री अमृतलाल नामदेव आयु
35 साल जाति नामदेव निवासी वार्ड नं05 लक्ष्मण
तलैया नये थाने के पास गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती उमा नामदेव पत्नी नरेश नामदेव पुत्री श्री
गोबिन्दराम नामदेव आयु 32 साल जाति नामदेव
निवासी वार्ड नं05 लक्ष्मण तलैया गोहद हाल
निवासी श्री गोपाल गोशाला ढोली बुआ का पुल
लशकर ग्वालियर

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 22-10-2016 को पारित किया गया //

- 01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।
02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 19-4-2000 को ढोली बुआ का पुल ग्वालियर में विधिवत् हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के बाद आवेदक व अनावेदिका साथ साथ अपने घर वार्ड नं0 5 गोहद में सुख पूर्वक रहे। आवेदक एवं अनावेदिका को विवाह के उपरांत चार संताने उत्पन्न हुईं। विवाह के उपरांत अनावेदिका बार बार अपने मायके चली जाती और कई दिनों तक वहीं रहती तथा वह छोटी छोटी बातों पर आवेदक से झगडा करने लगती थी। आवेदक से वह कहती थी कि वह गोहद में नहीं रहेगी और ग्वालियर जाने के लिये कहने लगी। उसके दबाव में आवेदक विवाह के एक दो साल बाज अनावेदिका के साथ ग्वालियर रहने के लिये चला गया किन्तु अनावेदिका एवं उसके घरवालों का आवेदक के विरुद्ध व्यवहार खराब रहा। उसके द्वारा मजदूरी कर कमाई गई धनराशि भी अनावेदिका एवं उसके माता पिता के द्वारा रख ली गयी। आवेदक के द्वारा उनसे जब

धनराशि की मांग की गयी तो उसे कोई राशि नहीं दी और झगडा करने को तैयार हो गये और जमा सुदा राशि जो कि एफ0डी0आर0 और नगद एवं सोने चांदी के जेबर अपने पास रखकर मारपीट कर उसे घर से भगा दिया । आवेदक गोहद में आकर रहने लगा और उसने अनावेदिका को अपने साथ रखने का कई बार प्रयास किया और इस संबंध में कई बार पंचायते भी की किन्तु वह आवेदक के साथ रहने को नहीं आयी और अपने मायके में ही रह रही है । अनावेदिका के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका भी पेश की जिसके संबंध में जानकारी होने पर आवेदक अपने रिश्तेदारों को लेकर दिनांक 30-5-16 को अनावेदिका के यहां गया किन्तु अनावेदिका ने आवेदक के साथ आने से और साथ रहने से इन्कार कर दिया और उसे उसके नगदी जेबर आदि अपने पास रखकर घर से निकालकर भगा दिया । आवेदक अनावेदिका को अपने पास रखने को तैयार है किन्तु अनावेदिका बिना किसी युक्ति युक्त कारण के उसे सहचर्य से बंचित किया गया है । ऐसी दशा में आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह ढोलीबुआ का पुल ग्वालियर में होने से विवाह उपरान्त गोहद में आवेदक का घर होने से एवं आवेदक के साथ अनावेदिका का गोहद में रहने से कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है ।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा संमंस जारी किए जाने के उपरांत संमंस की तामीली पर न्यायालय में उपस्थित हुयी किन्तु उसके उपरांत दिनांक 14-10-16 को उसके उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी ।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05. याचिकाकर्ता/ आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में आवेदक नरेश नामदेव साक्षी कं01 का तथा साक्षीगण अमृतलाल नामदेव आ.सा. 2 के शपथपत्र पेश किए हैं । उक्त शपथपत्रों में अनावेदिका का विवाह आवेदक के साथ दिनांक 19-4-2000 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होना तथा विवाह के उपरांत उनके चार सन्तानें उत्पन्न होना बताया गया है । उक्त शपथपत्रों का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है इस प्रकार यह प्रमाणित है कि अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है ।

06. अब यह विचारणीय है कि अनावेदिका आवेदक से युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के पृथक रह रही है या नहीं ?

07. आवेदक नरेश नामदेव के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि शादी के बाद आवेदक व अनावेदिका साथ साथ अपने घर वार्ड नं0 5 गोहद में सुख पूर्वक रहे । आवेदक एवं अनावेदिका को विवाह के उपरांत चार संतानें उत्पन्न हुयीं । विवाह के उपरांत अनावेदिका बार बार अपने मायके चली जाती और कई दिनों तक वहीं रहती तथा वह छोटी छोटी बातों पर आवेदक से झगडा करने लगती थी । आवेदक से वह कहती थी कि वह गोहद में नहीं रहेगी और ग्वालियर जाने के लिये कहने लगी । उसके दबाव में आवेदक विवाह के एक

दो साल बाद अनावेदिका के साथ ग्वालियर रहने के लिये चला गया किन्तु अनावेदिका एवं उसके घरवालों का आवेदक के विरुद्ध व्यवहार खराब रहा । उसके द्वारा मजदूरी कर कमाई गई धनराशि भी अनावेदिका एवं उसके माता पिता के द्वारा रख ली गयी । आवेदक के द्वारा उनसे जब धनराशि की मांग की गयी तो उसे कोई राशि नहीं दी और झगडा करने को तैयार हो गये और जमा सुदा राशि जो कि एफ0डी0आर0 और नगद एवं सोने चांदी के जेबर अपने पास रखकर मारपीट कर उसे घर से भगा दिया । आवेदक गोहद में आकर रहने लगा और उसने अनावेदिका को अपने साथ रखने का कई बार प्रयास किया और इस संबंध में कई बार पंचायते भी की किन्तु वह आवेदक के साथ रहने को नहीं आयी और अपने मायके में ही रह रही है । अनावेदिका के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका भी पेश की जिसके संबंध में जानकारी होने पर आवेदक अपने रिश्तेदारों को लेकर दिनांक 30-5-16 को अनावेदिका के यहां गया किन्तु अनावेदिका ने आवेदक के साथ आने से और साथ रहने से इन्कार कर दिया और उसे उसके नगदी जेबर आदि अपने पास रखकर घर से निकालकर भगा दिया । आवेदक अनावेदिका को अपने पास रखने को तैयार है किन्तु अनावेदिका बिना किसी युक्ति युक्त कारण के उसे सहचर्य से बंचित किया गया है ।

08. आवेदक के द्वारा यद्यपि अनावेदिका के पास नगद एफडीआर एवं सोने चांदी के जेबर जो कि उसके द्वारा अर्जित की गयी हैं का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदक के द्वारा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे कि उक्त धनराशि एवं जेबरात आवेदक के द्वारा अर्जित किये जाने और अनावेदिका ने उसे अपने मायके में रख लेने की पुष्टि होती हो । किन्तु अनावेदिका अपने मायके में रह रही है और आवेदक के द्वारा उसे लाने हेतु प्रयास करने के उपरांत भी वह आवेदक के साथ रहने के लिये नहीं आ रही है, जबकि वह आवेदक की विवाहिता पत्नी है यह तथ्य आवेदक के शपथपत्र के आधार पर जिसका कि कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है और प्रतिपरीक्षण के अभाव में शपथपत्र के कथन इस बिन्दु पर अखण्डनीय रहे हैं ।

09. आवेदक नरेश नामदेव के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अमृतलाल नामदेव आ.सा. 2 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे हैं।

10. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक नरेश नामदेव का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी अमृतलाल नामदेव आ.सा. 2 के कथनों से भी होती है । उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहिता पत्नी है के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से आवेदक का परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह आवेदक के साथ आकर पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताविक जो भी कम हो देय होगा।
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी०सी०थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)